कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2553 /FP/UK/Others/145973/2021 :देहरादून:दिनांक: 27 अप्रैल, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय– रामनगर में बसपोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर–रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष वन भूमि 0.120 है0 वन भूमि लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :–आपकी पत्र संख्या–1905/12–1 दिनांक 17–04–2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सन्दर्भित पत्र के माध्यम से 03 हार्ड प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव के गहन अवलोकन करने के पश्चात् प्रस्ताव में निम्नानुसार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है :–

1. विषयसूची के अनुसार संलग्न प्रपत्र/प्रमाण पत्रों पृष्ठ संख्या अंकित की जानी है।
2. प्रस्ताव में संलग्न SIR रिपोर्ट में बिन्दु संख्या–b पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है।
3. प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित प्रयोजन हेतु उक्त भूमि का हस्तान्तरण उचित प्रतीत नहीं होता है, वहीं आपके द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी है, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट की जानी है।
4. SIR के बिन्दु संख्या–3 में उल्लेख किया गया है कि श्रीमती पदमा देवी के नाम लीज दर्ज है, जो कि कालातीत हो चुकी है। लीज धारक द्वारा उक्त भूमि का नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन प्रतीत होता है। विभाग द्वारा प्रभाग स्तर पर इस पर क्या कार्यवाही की गयी है, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी है।
5. प्रश्नगत प्रयोजन हेतु चयनित भूमि के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण आख्या के बिन्दु 2 एवं बिन्दु संख्या–4 में प्रस्पर विरोधाभाष है, जिसमें बिन्दु 2 में उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रयोजन हेतु भूमि उपयुक्त नहीं है वहीं दूसरी ओर बिन्दु 4 में उल्लेख किया गया है कि उक्त परियोजन हेतु वन भूमि विकास कार्यों हेतु संस्तुति की जाती है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट की जानी है।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना है कि परिवहन विभाग को पूर्व में हस्तान्तरित की गयी वन भूमि में निर्गत शासनादेश में अधिरोपित सभी शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है।
7. टोपोशीट मानचित्र पर प्रस्तावित परियोजना को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय।
8. प्रस्तावित स्थल राजाजी राष्ट्रीय पार्क से 280 मीटर (0.28 किमी0) पर स्थित है। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालन, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।
9. परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया जाना है।
10. प्रस्ताव में लीज अवधि का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/लीज धारक को सूचित करने का कष्ट करें, एवं प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं कमियों के पूर्णतः निराकरण के पश्चात पूर्ण प्रस्ताव तीन हार्ड प्रतियों में मूल प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

27/4/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्याः–2443 /FP/UK/Others/145973/2021 दिनॉकित।

1. **प्रतिलिपि :–** प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण/समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करवाकर पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. **प्रतिलिपि :–** मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊँ मण्उल, काठगोदाम को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने हेतु प्रस्ताव की प्रतियां इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

27/4/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।